घोषणा



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## **असाधारगा**

## विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

खलनऊ, शुक्रवार, 6 भ्रक्तूबर, 1978 भ्राध्विन 14, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका स्रनुभाग—1

संख्या 2690/सन्नह-नि0-1--70-1978 लखनऊ, 6 प्रक्तूबर, 1978

### ग्रिधसूचना विविध

'मारत का संविधान' के श्रनुच्छेद 201 के श्रधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर भेदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 3 श्रक्तूबर, 1978 ई0 को श्रनुमति प्रदान की श्रीर वह उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 30, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस ग्रधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया शता है।

उत्तर प्रदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 30, 1978)

[जैसा उत्तर प्रवेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुन्ना]

संयुक्त प्रान्त श्रावकारी श्रधिनियम, 1910 का श्रग्रतर संशोधन करने के लिए

### म्रधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसर्वे वर्ष में निम्नलिखित श्रिधिनियम बनाया जाता है :---

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 संक्षिप्त नाम मीर प्री जायगाः। प्रारम्भ
  - (2) यह, धारा 1, 2, 5 ग्रीर 6 के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होंगी, 1 मई, 1972
- 2—एतवृद्धारा यह घोषित किया जाता है कि यह श्रधिनियम, मादक पेयों श्रौर स्वास्थ्य के हिन्दि होनिकर श्रोषधियों के श्रौषधीय प्रयोजनों से श्रीतिरक्त उपमोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने की लिये है।

संयुक्त प्रान्त इ.धिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 20 का संशोधन 3--उत्तर प्रदेश प्रावकारी (संशोधन) श्रिधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त ग्रावकारी ग्रिधिनियम, 1910 (जिसे ग्रागे मूल ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी ग्रीर 1 मईं, 1972 को निकाली गई समझी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 24 अप्रैल, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अविध में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई इ.पराध नहीं होगी जो यदि वह उपधारा निकाली न गई होती तो कोई अपराध न होती।

#### धारा ३७-कक प्रतिस्थापन

4--मूल श्रिधिनियम की धारा 37-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दो जायगी, श्रर्थात--

"37-क—(1) उपधारा (4) क उपबन्धों के म्रधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भादक वस्तुम्रों का म्रायात, निर्यात, भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का म्रायात या निर्यात परिवहन करने, कब्जे में रखने या या उसका परिवहन निषिद्ध होगा। उसका उपभोग करने का निषेध।

- (2) धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी फिन्तु उनधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे भ्रपवादों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायं, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कव्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्ती क श्रधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जायं, निष्द्रित्त होगा।
- (3) राज्य में मद्य निवेध का ऋमिक प्रसार करने की नीति क अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, इस निमित्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात् :—
  - (क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा---
    - (एक) सरकार का मुख्यालय, या
    - (दो) विद्या केन्द्र, या
    - (तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या
    - (चार) पर्वतीय क्षेत्र, या
    - (पांच) स्रौद्योगिक क्षेत्र, या
      - (छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुन्ना क्षेत्र, या
    - (सात) प्रनुसूचित जातियों या प्रनुसूचित जन-जातियों की वस्ती, या
  - (ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य श्रार्थिक स्थिति जिसके श्रन्तर्गत उनके श्राहार पुष्टितल श्रीर जीवन-स्तर भी है, या
    - (ग) स्थानीय जनमत, या
- (घ) कोई श्रन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सार<sup>वार</sup> हो :

प्रतिवन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाय<sup>गा कि</sup> राज्य सरकार से अपने श्रादेश में उन तथ्यों को, जिनके श्राधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र म<sup>ह</sup> निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित हैं।

(4) उपधारा (3) के उपयन्धों के श्रधीन रहते हुए, वह क्षत्र जिसमें उपधारा  $\binom{11}{2}$  के श्रधीन किसी मादक वस्तु के श्रायात, निर्यात या परिवहन पर, श्रौर जितमें उपधारा ( $\frac{1}{2}$ )

के श्रधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखन या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय ग्रौर वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र में मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर श्रधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

- (5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष ग्रादेश द्वारा उपधारा (4) के ग्राधीन ग्राधित्चना में उन्लिखित मादक वस्तुश्रों को या ऐसी मादक वस्तुश्रों में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उगके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उगका उग्लोग, ग्रायात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है:—
  - (क) प्रतिरक्षा सेवाग्रों के ूँ सदस्य ;
  - (ख) मध निषेध क्षेत्र में ग्राने वाले या निवास करने वाले विदेशी;
  - (ग) मद्य निषय क्षेत्र से गुजरने वाले वाली; ]
  - (घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा] महाविज्ञालय, जिनमें ख्रीयधीय प्रयोजनीं के लिये कोई मादक वस्तु ख्रपेक्षित हो ;
    - (इ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;
  - (च) रेल, सड़क या वायुवान द्वारा मद्य निवेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण;
    - (छ) श्रीद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, श्रीवयीय या धार्मिक प्रयोजन ।
  - (6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के प्रधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष क्रादेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परिमट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।
- (7) उपधारा (4) में श्रिभिविष्ट श्रिधसूचना जारी कर दिये जाने पर इस श्रिधिनयम के श्रिधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस की, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य निष्ध क्षेत्र से हैं, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तद्यरान्त लाइसेंस की श्रिसमाप्त श्रवधि के सम्बन्ध में देय शुक्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेंसधारी द्वारा श्रिप्रम रूप से दिये गये किसी शुक्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौड़ा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गयी किती बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।
- (8) जहां उपधारा (7) के स्रधीन कोई लाइतेंस निरस्त किया जाय वहां लाइसेंसधारी स्रपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या स्राबकारी श्रायुक्त, सामान्य या विशेष स्रादेश द्वारा निवेत दें"।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 हो प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली श्रवधि में किय गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी होई चूक मूल श्रिधिनियम के ग्रधीन दण्डनीय कोई श्रपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई श्रपराध न होतो।

5—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिकी या ग्रादेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्म होने के पूर्व भूल श्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन किया गया या किये जाने के लिये तार्ल्यत कोई कार्य ग्रीर की गई या किये जाने के लिये तार्ल्यत कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और सर्वेव से विधिमान्य समझी जायेगी मानों इस ग्रधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल ग्रधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय में प्रवृत्त थे।

वैधीक रण

4

निरसन श्रौर भ्रपवाद 6--(1) उत्तर प्रदेशं श्रावकारी (तृतीय संशोधन) श्रध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उनत ग्रध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल ग्रधिनियम के ग्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस ग्रधिनियम द्वारा यथा सशोधित मूल ग्रधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के ग्रधीन कृत कार्य या कार्यवाही समजी जायगी मानों इस ग्रधिनियम के उपबन्ध सभी सारभत समय पर प्रवृत थे।

श्राज्ञा से, रमश चन्द्र देव शर्मा, सचिव। उत्तर प्रो

सच्यादेश

No. 2690/XVII-V-1-70-78

Dated Lucknow, October 6, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1978), as passed by the Legislature and assented to by the President on October 3, 1978:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SECOND ! AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 30 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

**EXIT** IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement,

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Act, 1978.
- (2) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1972, except sections 1, 2, 5 and 6 which shall come into force at once.

Declaration,

2. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the poncy of the State towards securing prohibition of the consumption, except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health as laid down in Article 47 of the Constitution.

Amendment of section 20 of U. P. Act no. IV of 1910.

3. In section 20 of the United Provinces Excise Act, 1910 (hereinafter referred to as the principal Act) as amended by Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1978, sub-section (2), shall be omitted and be deemed to have been omitted with effect from May 1, 1972:

Provided that no Act done or omission taking place during the period commencing on May 1, 1972 and ending with April 24, 1978, which would not be an offence but for such omission shall constitute an offence punishable under the principal Act.

Substitution of section 37-A.

cants.

- 4. For section 37-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
  - \*37-A. (1) Subject to the provisions in sub-section (4), the import Prohibition of or export of any intoxicating into or from Uttar Pradesh import, export, or any part thereof or the transport of any intoxicant shall be prohibited.

- (2) Notwithstanding anything contained in section 20, but subject to the provision of sub-section (4), the possession or consumption by any person or class of persons or subject to such exceptions, if any, as may be specified, by all persons in Uttar Pradesh or in any specified area or areas thereof, of any intoxicant shall absolutely or subject to such conditions as may be specified, be prohibited.
- (3) In pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State and having regard to the administrative convenience, the State Government may from time to time select different areas in that behalf after taking into account any one or more of the following factors, namely:—
  - (a) the character of an area as—
    - (i) the seat of Government; or
    - (ii) a seat of learning; or
    - (iii) a place of pilgrimage or of religious importance; or
    - (iv) hill area; or
    - (v) an industrial area; or
    - (vi) contiguous to dry area; or
    - (vii) inhabited by Scheduled Castes or Scheduled Tribes; or
  - (b) the general economic condition of the local population, including their level of nutrition and standard of living; or
    - (c) the local public opinion; or
  - (d) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest:

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order, the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

- (4) Subject to the provisions of sub-section (3), the area to which the prohibition on import, export or transport of any intoxicant under sub-section (1) and on possession or consumption of any intoxicant under sub-section(2) extends and the date on which the prohibition in any area comes into force, shall be such as the State Government may, from time to time, specify by notification.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in relation to any prohibition area, the State Government may, either by rules on by general or special order, make any exemption or relaxation in respect of the possession, consumption, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under sub-section (4) or any of such intoxicant by or for purposes of—
  - (a) members of the defence services;
  - (b) foreigners visiting or residing in the prohibition area;
  - (c) travellers through the prohibition area;
  - (d) district hospitals or medical colleges requiring any intoxicant for medicinal purposes;
    - (e) persons holding licences under sections 17, 18, 21 and 24;
  - (f) consignment from, to, or passing through the prohibition area by rail, road or air;
  - (g) industrial, scientific, educational, medicinal or religious purposes.
- (6) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (5), the State Government may either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.
- (7) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (4), the authority granting a licence under this Act may in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall

thereupon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the licence, and refund any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof, less the amount, if any, due to the State Government, but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(8) Where any licence is cancelled under sub-section (7) the licensee shall dispose of the intoxicants in his possession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct."

Provided that no act done or omission taking place during the period commencing on May 1, 1972 and ending with June 25, 1978 which would not be an offence but for such substitution shall constitute an offence punishable under the principal Act.

Validation.

5. Notwithstanding any judgement, decree or order of any court to the contrary anything done or purporting to have been done, and any action taken or purporting to have been taken under the provisions of the principal Act, before the commencement of this section shall be valid and be deemed always to have been valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

- 6. (1) The Uttar Pradesh Excise (Third Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order, R. C. DEO SHARMA. Sachiv.